ए.

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और ओआरएस।

बनाम

भारत और ओआरएस का संघ।

2021 का आई. ए. सं. 68597 और 2022 का आई. ए. सं. 51632

बी.

में।

2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1159 सितंबर 30,2022

[बी**.** आर**.** गवई और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** जे**.** जे**.]**

सी.

भारत का संविधान-अनुच्छेद 32-उच्चतम न्यायालय के पहले के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं, प्रभावी रूप से-निर्णय की अंतिमता बनाम ऋण से न्याय पाने के सिद्धांत-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 -धारा 8-भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-निजी बैंकों सहित विभिन्न बैंकों द्वारा दायर वर्तमान रिट याचिकाएं, अन्य बातों के साथ-साथ, आर. टी. आई. अधिनियम के तहत अपने मामलों, कर्मचारियों और ग्राहकों से संबंधित गोपनीय और संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण का निर्देश देने में भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई को चुनौती देती हैं, जो उनके अनुसार अन्यथा छूट प्राप्त है।8 – आई. ए. ने रिट याचिकाओं को खारिज करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि रिट याचिकाएं, वास्तव में, अंतिम निर्णय और आदेश को चुनौती दे रही हैं।16.12.15 पास किया

डी.

ई.

भारतीय रिजर्व बैंक न्यायालय जयंतीलाल एन. मिस्त्री और

इसलिए रखरखाव योग्य नहीं-आयोजितःजयंतीलाल एन. मिस्त्री मामले के फैसले को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक याचिकाकर्ताओं/बैंकों को बैंक के व्यक्तिगत ग्राहकों के संबंध में भी जानकारी का खुलासा करने के लिए निर्देश जारी करने का हकदार है, जो वास्तव में व्यक्तियों के निजता के मौलिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है-नौ-न्यायाधीश संविधान

एफ.

के. एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य मामले की पीठ ने माना है कि

निजता एक मौलिक अधिकार है-सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है-इस तरह के संघर्ष के मामले में, न्यायालय को संतुलन की भावना प्राप्त करने की आवश्यकता होती है-हालांकि, निर्णय की अंतिमता की अवधारणा को संरक्षित किया जाना चाहिए, साथ ही, पूर्व ऋण न्याय के सिद्धांत को मंजूरी नहीं दी जा सकती है-यदि न्यायालय को पता चलता है कि पहले का निर्णय कानून की सही स्थिति निर्धारित नहीं करता है, तो इस न्यायालय के लिए हमेशा उसी पर पुनर्विचार करने की अनुमति है और यदि आवश्यक हो, तो इसे एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना-प्रथम दृष्टया, जयंतीलाल एन. मिस्त्री के फैसले में इस पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया है -

जी.

एच.

502 ए.

503

एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड और ओ. आर. एस.भारत और ओआरएस का संघ।

सूचना के अधिकार और निजता के अधिकार को संतुलित करना-भारतीय रिजर्व बैंक ने जयंतीलाल एन. मिस्त्री और गिरीश मित्तल के मामले में निर्णय को देखते हुए निर्देश जारी किए हैं-इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के पास अपने ग्राहकों, जो भारत के नागरिक हैं, के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं होगा-प्रारंभिक आपत्ति उठाई जाती है-आई. ए. खारिज कर दी जाती है।

बी.

ए. आर. अंतुले बनाम आर. एस. नायक और दूसरा **(1988) 2** एस. सी. सी.

602 :[1988] 1 पूरक।एस. सी. आर. 1; के. एस. पुट्टास्वामी और

एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **(2017) 10** एस. सी. सी. **1**

:[2017] 10 एस**.** सी**.** आर**. 569-**अनुसरण किया गया।

सी.

संजय सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद और एक अन्य (2007) 3 एस. सी. सी. 720:

[2007] 1 एस**.** सी**.** आर**. 235-**पर निर्भर।

भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन**.** मिस्त्री **(2016) 3**

एससीसी 525:[2015] 14 एस. सी. आर. 505; गिरीश मित्तल बनाम पार्वती

डी.

वी**.** सुंदरम और एक अन्य **(2019) 20** एससीसी **747**

26 अप्रैल **2019** को निर्णय लिए गए **2015** के स्थानांतरण मामले **(**सी**)** संख्या **95** में **2016** की अवमानना याचिका **(**सी**)** संख्या **928;**

नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्न। [1966] 3 एस. सी. आर. 744; अनिल कुमार बारात बनाम सचिव, भारतीय चाय संघ और अन्य

ई.

(2001) 5 एससीसी 42:2001 (1) पूरक।जे. टी. 241; खोडे

डिस्टिलरीज लिमिटेड और एक अन्य बनाम महापंजीयक,

भारत का सर्वोच्च न्यायालय (1996) 3 एस. सी. सी 114:[1995] 6

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 190;** मो**.**असलम बनाम भारत संघ और

अन्य (1996) 2 एस. सी. सी. 749:[1996] 3 एससीआर 782; संघ

एफ.

भारत और अन्य बनाम मेजर एस. पी. शर्मा और अन्य

(2014) 6 एससीसी 351:[2014] 4 एस. सी. आर. 327; रूपा अशोक

हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और एक अन्य **(2002) 4** एस**.** सी**.** सी**. 388:[2002] 2** एस**.** सी**.** आर**. 1006;** मुख्य सूचना आयुक्त बनाम गुजरात उच्च न्यायालय और एक अन्य **(2020) 4** एस**.** सी**.** सी**. 702:2020 (4)** जे**.** टी**. 272;** सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और एक अन्य न्यायालय भारत संघ

जी.

(2016) 5 एससीसी 1:[2015] 13 एस. सी. आर. 1; थालप्पलम

सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम राज्य

केरल और अन्य (2013) 16 एस. सी. सी. 82:[2013] 14

एस**.** सी**.** आर**. 475;** बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैयद

एच.

504 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

ए.

हुसैन अब्बास रिज़वी और एक अन्य **(2012) 13** एस**.** सी**.** सी**. 61:[2012] 11** एस**.** सी**.** आर**. 1032;** गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त और अन्य **(2013)**

1 एससीसी 212:[2012] 8 एस. सी. आर. 1097; मनोहर जोशी बनाम.

नितिन भाऊराव पाटिल और एक अन्य **(1996) 1** एस**.** सी**.** सी**. 169:[1995] 6** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 421;** एस**.** आर**.** बोम्मई और अन्य बनाम

बी.

भारत संघ और अन्य (1994) 3 एस. सी. सी. 1:[1994] 2 एस. सी. आर. 644-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2015] 14 पैरा **5 [1966] 3** एस**.** सी**.** आर**. 744** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 505**

सी.

पैरा **8 [1988] 1** का उल्लेख किया गया है।एस**.** सी**.** आर**. 1** ने पैरा **8 [1995] 6** सप्लीमेंट का अनुसरण किया।एस**.** सी**.** आर**. 190** पैरा **10 [1996] 3** एस**.** सी**.** आर**. 782** में संदर्भित है।

पैरा **10** को संदर्भित पैरा **10**

डी.

[2014] 4 एससीआर **327**

[2002] 2 एस**.** सी**.** आर**. 1006** पैरा **10 [2017] 10** एस**.** सी**.** आर**. 569** पैरा **14 [2015] 13** एस**.** सी**.** आर**. 1**

पैरा **14** को संदर्भित किया गया

ई.

[2007] 1 एससीआर **235**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **15**

[2013] 14 एस**.** सी**.** आर**. 475** पैरा **16 [2012] 11** एस**.** सी**.** आर**. 1032** पैरा **17 [2012] 8** एस**.** सी**.** आर**. 1097** पैरा **17 [1995] 6** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **26 [1994] 2** एस**.** सी**.** आर**. 644** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 421**

एफ.

पैरा **26** को संदर्भित किया गया

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की और लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1159 में 2021 की आई. ए. संख्या 68597 और 2022 की आई. ए. संख्या 51632।

जी.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ए

एच.

505

एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड और ओ. आर. एस.भारत और ओआरएस का संघ।

2021 की आई. ए. संख्या 54521 और 2021 की 683,2019 की 1469,2021 की 690,709,768,765,2022 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 14343।

तुषार मेहता, एस. जी., दुष्यंत दवे, सुश्री गरिमा प्रसाद, राकेश द्विवेदी, जयदीप गुप्ता, के. वी. विश्वनाथन, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्तागण , प्रशांत भूषण, प्रणव अधिवक्तागण सुश्री जतिन भारद्वाज, सुश्री नेहा राठी, सरफराज खान, राम स्वरूप शर्मा, फिरासत अली सिद्दीकी, रवि एस. गुप्ता, सुश्री प्रवीणा गौतम, पवन शुक्ला, राजा राम, अमन एस. शर्मा, अमन रस्तोगी, के. के. गौतम, ओ. पी. गग्गर, सचिंद्र कर्ण, दिव्यांशु सहाय, सुश्री श्रद्धा नारायण, अक्षय सहाय, गौरव गोयल, राजेश कुमार, राजेश कुमार गौतम, अनंत गौतम, निपुण शर्मा, सचिन सिंह, विदुर अहलूवालिया, राकेश सिन्हा, आनंद श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, समज्यर लेप्चा, मेसर्स लेक्स रेजिस लॉ ऑफिसेस,उपस्थित दलों के लिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. कार्यान्वयन के लिए 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.1159 में 2021 के आई. ए. No.68597 में बताए गए कारणों के लिए, इसकी अनुमति है।

एफ.

2. रिट याचिकाओं का यह समूह निजी बैंकों सहित विभिन्न बैंकों द्वारा दायर किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद "आर. टी. आई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत उनके मामलों, उनके कर्मचारियों और उनके ग्राहकों से संबंधित गोपनीय और संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण का निर्देश देने में प्रतिवादी-भारतीय रिजर्व बैंक (इसके बाद "आर. बी. आई". के रूप में संदर्भित) की कार्रवाई को चुनौती दी गई है, जिसे उनके प्रस्तुत करने में, अन्यथा धारा 8 के तहत छूट दी गई है।

जी.

3. हम 2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1159 को प्रमुख मामले के रूप में मान रहे हैं।

एच.

ए.

4. 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.1159 में 2022 की आई. ए. संख्या 51632 और 2021 की रिट याचिका (सिविल) No.683 में 2022 की आई. ए. No.54521 होने वाले अंतर्वर्ती आवेदन आवेदक-गिरीश मित्तल द्वारा दायर किए गए हैं, जिससे वर्तमान रिट याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई है।

5. आवेदक का यह तर्क है कि वर्तमान रिट याचिकाएं, प्रभावी रूप से, भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंतीलाल एन. मिस्त्री 1 के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित 16 दिसंबर 2015 के

अंतिम निर्णय और आदेश को चुनौती दे रही हैं और इसलिए यह विचारणीय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।

बी.

6. हमने याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण-गिरीश मित्तल और श्री राकेश द्विवेदी, श्री मुकुल रोहतगी, श्री दुष्यंत दवे, श्री जयदीप गुप्ता और श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकीलों और श्री दिव्यांशु सहाय, रिट याचिकाकर्ताओं/बैंकों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता को सुना है।7. विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण ने कहा कि वर्तमान रिट याचिकाओं में उठाए जाने वाले मुद्दे को जयंतीलाल एन. मिस्त्री (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले से पहले ही शांत कर दिया गया है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह न्यायालय, के मामले में

सी.

डी.

गिरीश मित्तल बनाम पार्वती वी**.** सुंदरम और अन्य **2,** धारण करते हुए

कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सामग्री के प्रकटीकरण से छूट देकर इस न्यायालय की अवमानना की है, यह भी माना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य सामग्री से संबंधित सभी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध था।

ई.

8. श्री प्रशांत भूषण नरेश श्रीधर मिराजकर के मामले में इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा करते हैं और

अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्र। **3** उनके प्रस्ताव के समर्थन में

एफ.

कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा किसी न्यायिक निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है।उन्होंने इस मामले में इस न्यायालय की सात-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया

ए**.** आर**.** अंतुले बनाम। आर**.** एस**.** नायक और अन्य **4** ने तर्क दिया कि न्यायिक

इस न्यायालय में कार्यवाही उसके रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं है।9. श्री प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि इस न्यायालय ने

जी.

अनिल कुमार बारात बनाम सचिव, भारतीय चाय संघ और

1 (2016) 3 एस. सी. सी. 525

2 (2019) 20 एस. सी. सी. 747 = 2015 के स्थानांतरण मामले (सी) संख्या 95 में 2016 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 928,26 अप्रैल 2019 को तय की गई

3 (1966) 3 एससीआर 744

एच.

4 (1988) 2 एससीसी 602 ए

507

एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड और ओ. आर. एस.भारत और ओआरएस का संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

अन्य **5** ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता स्वयं इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हो सकती है।

10. श्री भूषण ने तीन न्यायाधीशों के फैसलों पर भी भरोसा किया

खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड के मामलों में इस न्यायालय की पीठ और एक अन्य बनाम महापंजीयक**,** भारत का सर्वोच्च न्यायालय **6,** मोहम्मद।असलम बनाम भारत संघ और अन्य **7** और भारत संघ और अन्य बनाम मेजर

बी.

एस**.** पी**.** शर्मा और अन्य **8** और पांच न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय

यह न्यायालय रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के मामले में और

उसकी प्रस्तुतियों को मजबूत करने के लिए 9 और।11. श्री भूषण ने आगे कहा कि जयंतीलाल एन. मिस्त्री (उपरोक्त) के मामले में, बैंकों की ओर से कई विविध आवेदन दायर किए गए थे।इस प्रकार, जयंतीलाल एन. मिस्त्री (उपरोक्त) के मामले में दिया गया निर्णय प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद है, जिसे अब फिर से नहीं खोला जा सकता है।उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने 28 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा, 2015 के हस्तांतरित मामले (सिविल) में 2019 के एम. ए. No.2342 में पारित किया गया और अन्य संबंधित मामलों में बैंकों (यहां रिट याचिकाकर्ताओं) द्वारा जयंतीलाल एन. मिस्त्री (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित 16 दिसंबर 2015 के फैसले को वापस लेने के लिए दायर प्रार्थना को विशेष रूप से खारिज कर दिया है, और इस तरह, वर्तमान रिट याचिकाएं खारिज होने योग्य हैं।

सी.

डी.

12. इसके विपरीत, रिट याचिकाकर्ताओं/बैंकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि हालांकि 2015 के हस्तांतरित मामले (सिविल) में 2019 के एम. ए. <आई. डी. 1 और अन्य संबंधित मामलों को इस न्यायालय द्वारा 28 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, इस न्यायालय ने स्पष्ट विद्वान कि उन आवेदनों को खारिज करने से आवेदक-बैंक को कानून में उनके लिए उपलब्ध अन्य उपायों को आगे बढ़ाने से नहीं रोका जाएगा।इस प्रकार यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त आदेश वर्तमान याचिकाओं को दायर करने में वर्तमान याचिकाकर्ताओं के रास्ते में नहीं आएगा।

ई.

एफ.

13. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 11 में यह प्रावधान है कि जब तीसरे पक्ष से संबंधित कोई जानकारी मांगी गई है, तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध के ऐसे तीसरे पक्ष को लिखित सूचना दी जानी चाहिए, और ऐसे तीसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुतियां आवश्यक हैं।

जी.

5 (2001) 5 एस. सी. सी. 42 6 (1996) 3 एस. सी. सी. 114 7 (1996) 2 एस. सी. सी. 749 8 (2014) 6 एस. सी. सी. 351 9 (2002) 4 एस. सी. सी. 388

एच.

सूचना के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना।इस संबंध में रिलायंस को मुख्य सूचना आयुक्त के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है।

बनाम गुजरात का उच्च न्यायालय और अन्य **10**।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने जयंतीलाल एन**.** मिस्त्री **(**उपरोक्त**)** के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है।

मामले के इस पहलू पर विचार करें।14. रिट याचिकाकर्ताओं/बैंकों की ओर से आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मामले में इस न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा निजता के अधिकार को अंतर्निहित मौलिक अधिकार कहा गया है।

बी.

कोर्ट एडवोकेट्स**-**ऑन**-**रिकॉर्ड एसोसिएशन और एक अन्य न्यायालय यूनियन ऑफ

भारत **11.**यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त विचार को के**.** एस**.** पुट्टास्वामी के मामले में इस न्यायालय की नौ**-**न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा भी दोहराया गया है।

सी.

और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **12,** जिसमें स्पष्ट रूप से और

निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी।15. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी ने ए. आर. अंतुले (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर इस प्रस्ताव के समर्थन में भरोसा विद्वान कि न्यायालय की गलती के कारण किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं उठाना चाहिए।वह प्रस्तुत करता है कि प्रक्रिया के नियम न्याय की दासी हैं न कि न्याय की मालकिन।वह "एक्स डेबिटो जस्टिटिया" उक्ति पर निर्भर करता है।वह आगे के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है

डी.

संजय सिंह और एक अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग**,**

इलाहाबाद और अन्य **13** ने इस निवेदन के समर्थन में कहा कि याचिका मान्य होगी।

ई.

16. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि याचिकाकर्ता निजी बैंक हैं और आर. टी. आई. अधिनियम के तहत परिभाषित सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं हैं। वह इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है

थलाप्पलम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और अन्य का मामला

एफ.

बनाम केरल राज्य और अन्य 14 इस संबंध में।उन्होंने प्रस्तुत किया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के तहत किए गए निरीक्षण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट इतनी गोपनीय है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निदेशकों को भी प्रदान नहीं किया जा सकता है।वह इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14 मार्च 1998 को सभी बैंकों को जारी किए गए पत्र पर भरोसा करते हैं।

जी.

10 (2020) 4 एस. सी. सी. 702 11 (2016) 5 एस. सी. सी. 12 (2017) 10 एस. सी. सी. 13 (2007) 3 एस. सी. सी. 720 14 (2013) 16 एस. सी. सी. 82 ए

एच.

एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड और ओ. आर. एस.भारत और ओआरएस का संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

17. श्री रोहतगी ने आगे कहा कि 30 जून 1992 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित एक पूर्व नीति आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 8, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (जिसे इसके बाद "आर. बी. आई. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुरूप थी।हालाँकि, गिरीश मित्तल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीति को एक-पंक्ति नीति में संशोधित किया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जानकारी का खुलासा गिरीश मित्तल (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले और आदेश के अनुसार होना था।श्री रोहतगी, विद्वान वरिष्ठ वकील ने निर्णय पर भरोसा विद्वान

बी.

इस न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग बनाम सैयद हुसैन अब्बास रिज़वी और अन्य 15 के मामले में उनकी इस दलील के समर्थन में कि

न्यायालय को लोक हित और निजी हित के बीच संतुलन बनाना होगा।वह इस मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी निर्भर करता है

सी.

गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना

आयुक्त और अन्य 16 ने तर्क दिया कि व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने का निर्देश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि सार्वजनिक हित से अधिक इसे करने की आवश्यकता न हो।

डी.

18. श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि एच. डी. एफ. सी. बैंक, कोटक बैंक और बंधन बैंक जयंतीलाल एन. मिस्त्री (उपरोक्त) के मामले में पक्षकार नहीं थे। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 की उप-धारा (5) एक विशिष्ट प्रक्रिया प्रदान करती है कि निरीक्षण रिपोर्ट किस तरह से प्रकाशित की जाएगी।वे प्रस्तुत करते हैं कि जब कोई विशेष अधिनियम किसी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए एक विशेष तरीका प्रदान करता है, तो इसका आर. टी. आई. अधिनियम पर एक प्रबल प्रभाव पड़ेगा। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि जयंतीलाल एन. मिस्त्री (उपरोक्त) के मामले में उक्त प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया था।

ई.

19. श्री जयदीप गुप्ता, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत विद्वान कि

एफ.

न्यायालय ने जयंतीलाल एन. मिस्त्री (उपरोक्त) के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया है।

ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों पर विचार करें।

20. वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे ने विद्वान कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 एनबी गैर-बैंकिंग कंपनियों के संबंध में कुछ सूचनाओं की गोपनीयता पर जोर देती है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 एनबी की उप-धारा (4), जो एक गैर-अस्थाई खंड है, में प्रावधान है कि, तत्काल प्रभाव से किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी न्यायालय या न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण मजबूर नहीं करेगा।

जी.

15 (2012) 13 एससीसी 61 16 (2013) 1 एससीसी 212

एच.

बैंक इस अध्याय के किसी भी प्रावधान के तहत बैंक द्वारा प्राप्त किसी भी विवरण या अन्य सामग्री का उत्पादन या निरीक्षण करेगा।वह प्रस्तुत करता है कि जयंतीलाल के मामले में इस प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया गया है।

एन. मिस्त्री (ऊपर)।

21. सभी रिट याचिकाकर्ताओं/बैंकों की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि आर. बी. आई. की कार्रवाई याचिकाकर्ताओं को कुछ जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर करती है जिसे आर. बी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के तहत छूट दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न अन्य विशेष अधिनियम विशेष रूप से ऐसी जानकारी को प्रकट करने से रोकते हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि रिजर्व बैंक के निर्देश जयंतीलाल एन. मिस्त्री (ऊपर) और गिरीश मित्तल (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों के अनुसरण में जारी किए जाते हैं, इसलिए याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय का रुख नहीं कर सकते हैं और याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय वर्तमान रिट याचिकाओं के माध्यम से है।रिट याचिकाकर्ताओं/बैंकों की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा प्रस्तुत विद्वान जाता है कि यह न्यायालय जयंतीलाल एन. मिस्त्री (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान नहीं देता है।

बी.

सी.

सुप्रीम न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन के मामले में और

डी.

एक और **(**ऊपर**)**।उच्चतम न्यायालय के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और एक अन्य (ऊपर) था

16 अक्टूबर 2015 को प्रस्तुत किया गया, जबकि इस न्यायालय का निर्णय

जयंतीलाल एन. मिस्त्री (उपरोक्त) का मामला 16 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था।

2015. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, नौ माननीय न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए

ई.

के**.** एस**.** पुट्टास्वामी और एक अन्य **(**ऊपर**)** स्पष्ट रूप से अधिकार को मान्यता देते हुए

निजता एक मौलिक अधिकार के रूप में, इसके विपरीत जयंतीलाल एन. मिस्त्री (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून अब एक अच्छा कानून नहीं है और इसलिए, एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता है।

एफ.

22. नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य (ऊपर) के मामले में,

इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा अपने समक्ष कार्यवाही में मूल पक्ष से पारित आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए), (डी) और (जी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा सकती है।उक्त मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा:"श्री सीतलवाड़ के तर्क का आधार यह है कि विवादित आदेश अंतर-पक्षीय आदेश नहीं है, क्योंकि यह मुकदमेबाजी के लिए अजनबियों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, और यह कि उक्त आदेश इसके बिना है।

जी.

अधिकार क्षेत्र।हम पहले ही मान चुके हैं कि विवादित आदेश ए

एच.

यह नहीं कहा जा सकता है कि यह याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है और हालांकि यह इस अर्थ में अंतर-पक्षीय नहीं है कि यह कार्यवाही के लिए अजनबियों को प्रभावित करता है, यह उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के लिए उसके समक्ष लंबित मामले के संबंध में पारित किया गया है और इस तरह, उच्च न्यायालय द्वारा उसके समक्ष लंबित कार्यवाही में पारित अन्य न्यायिक आदेशों की तरह, विवादित आदेश की शुद्धता को केवल अपील द्वारा चुनौती दी जा सकती है न कि रिट कार्यवाही द्वारा।हमने यह भी माना है कि

बी.

उच्च न्यायालय के पास इस तरह का आदेश पारित करने का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है।लेकिन मामले के इस पहलू के अलावा, हम सोचते हैं कि याचिकाकर्ताओं को अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में विवादित आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में सवाल उठाने की अनुमति देना अनुचित होगा, जो उक्त आदेश को सही करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की मांग करता है।यदि आक्षेपित आदेश जैसे आदेश पारित करने के लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र के उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रश्नों को अनुच्छेद 32 के तहत रिट कार्यवाही में प्रचार करने की अनुमति दी जाती है, तो तार्किक रूप से, उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों और जो इस अर्थ में अंतर-पक्षीय नहीं हैं कि वे कार्यवाही के लिए अजनबियों को बाध्य करते हैं, के बीच एक वैध अंतर करना मुश्किल होगा।इसलिए, हमारी राय में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित आदेश अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उक्त अधिकार क्षेत्र के अस्तित्व के साथ-साथ आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में सवाल याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत प्रमाणपत्र की रिट जारी करने के लिए की गई रिट कार्यवाही में नहीं उठाया जा सकता है।"

सी.

डी.

ई.

[जोर दिया गया]23. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने पी. बी. गजेंद्रगडकर, मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से बोलते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि विवादित आदेश याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही में पारित किया गया था, इसलिए विवादित आदेश की शुद्धता को केवल अपील द्वारा चुनौती दी जा सकती है न कि रिट कार्यवाही द्वारा।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते

हुए कि आदेश एक उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था, उक्त अधिकार क्षेत्र के अस्तित्व के साथ-साथ आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में सवाल रिट कार्यवाही में नहीं उठाया जा सकता था।

एफ.

जी.

एच.

याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निकाला गया।इस न्यायालय ने आगे इस प्रकार टिप्पणी कीः

"अतः हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जहां तक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस न्यायालय की अधिकारिता का संबंध है, याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करना असंभव है कि उच्च न्यायालयों द्वारा उनके समक्ष लंबित कार्यवाहियों में या उनके संबंध में पारित न्यायिक आदेश उक्त आदेशों का प्रयोग करके सुधार किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

बी.

अधिकार क्षेत्र।हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद **32** के तहत अधिकार क्षेत्र की धारणा को तर्कसंगत बनाने का प्रयास करना अनुचित होगा ताकि इस काल्पनिक परिकल्पना पर ऐसे न्यायिक आदेशों को सही किया जा सके कि उच्च न्यायालय अपने समक्ष लंबित मामलों में या उनके संबंध में असाधारण आदेश पारित कर सकते हैं और इसलिए प्रमाण पत्र के माध्यम से एक उपाय की मांग की जानी चाहिए और इसे दायरे में शामिल माना जाना चाहिए।

सी.

अनुच्छेद 32।अनुच्छेद 32 में उपयोग किए गए शब्द निस्संदेह व्यापक हैं; लेकिन इस निर्णय के दौरान हमने जो विचार निर्धारित किए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि विवादित आदेश को अनुच्छेद 32 के तहत प्रमाणपत्र की रिट जारी करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं लाया जा सकता है; अन्यथा अभिनिर्धारित करना उन अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सीमाओं के प्रतिकूल होगा जिनके भीतर प्रमाणपत्र की रिट जारी करने की अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है और उक्त बिंदु के संबंध में इस न्यायालय के फैसलों की समान प्रवृत्ति के साथ असंगत है।"

डी.

ई.

[जोर दिया गया]24. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह अभिनिर्धारित करना अनुचित होगा कि यह न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत, इस काल्पनिक परिकल्पना पर न्यायिक आदेशों को सही कर सकता है कि उच्च न्यायालय उनके समक्ष लंबित मामलों में या उनके संबंध में अतिरंजित आदेश पारित कर सकते हैं और इसलिए यह न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत प्रमाण पत्र जारी करके इसे सही कर सकता है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि अनुच्छेद 32 में प्रयुक्त शब्द व्यापक हैं, लेकिन उसके समक्ष आक्षेपित आदेश को अनुच्छेद 32 के तहत प्रमाणपत्र की रिट जारी करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

एफ.

जी.

25. जहाँ तक खोडे के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संबंध है

डिस्टिलरीज लिमिटेड और एक अन्य (ऊपर), जिस पर श्री प्रशांत भूषण

निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, उक्त मामले में यह न्यायालय अपील के साथ-साथ समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद गुण-दोष पर निर्णय की शुद्धता को चुनौती देने पर विचार कर रहा था।

एच.

513

एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड और ओ. आर. एस.भारत और ओआरएस का संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

26. मोहम्मद के मामले में।असलम (ऊपर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

संविधान का अनुच्छेद 32 योग्यता के आधार पर किसी निर्णय की शुद्धता पर हमला करने या पुनर्विचार का दावा करने के लिए उपलब्ध नहीं था।हालाँकि, इसने याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए तर्क पर विचार किया कि

मनोहर जोशी बनाम नितिन भाऊराव पाटिल और अन्य **17** का मामला

इस मामले में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले के साथ टकराव

बी.

एस. आर. बोम्मई और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **18.**यह

न्यायालय ने प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद पाया कि इस तरह व्यक्त की गई राय गलत थी।

27. जहाँ तक मेजर एस. पी. शर्मा और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संबंध है, उक्त मामले में प्रतिवादी-कर्मचारी की समाप्ति से उत्पन्न मुकदमेबाजी का पहला दौर इस न्यायालय तक अंतिम रूप ले चुका था।हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर करके इसे फिर से खोलने की मांग की गई थी।इस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

सी.

"90. संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन साथ ही, यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को बार-बार पलटा न जाए, वह भी जब संपार्श्विक रूप से चुनौती दी जाती है क्योंकि यह सीधे तौर पर इस न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को शामिल करते हुए संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय के पास किसी त्रुटि को सुधारने या अपने निर्णय की समीक्षा करने की व्यापक शक्ति है, लेकिन यह अंतिम सिद्धांत की कीमत पर नहीं किया जा सकता है।कानून के किसी मुद्दे को बाद में खारिज किया जा सकता है, लेकिन तथ्य का सवाल या, जैसा कि वर्तमान मामले में, सेवाओं की समाप्ति के संबंध में विवाद को एक बार फिर से नहीं खोला जा सकता है जब इसे अंततः 1980 में इस न्यायालय तक पक्षों के बीच कार्यवाही में सील कर दिया जाता है।"

डी.

ई.

एफ.

28. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तथ्य का कोई प्रश्न पक्षों के बीच अंत तक पहुंच जाता है, तो इसे संपार्श्विक कार्यवाही में फिर से नहीं खोला जा सकता है।हालांकि, यह देखा गया है कि कानून के मुद्दे को बाद में खारिज किया जा सकता है।

जी.

29. श्री प्रशांत भूषण ने इस फैसले पर पूरा भरोसा किया।

रूपा अशोक हुर्रा (ऊपर) के मामले में न्यायालय।यह प्रासंगिक होगा

जे. कादरी के निर्णय में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करें।

17 (1996) 1 एस. सी. सी. 169 18 (1994) 3 एस. सी. सी. 1

एच.

514

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 13 एस सी आर।

“41. एक समय में अंग्रेजी न्यायशास्त्र द्वारा शासित न्यायालयों में टकटकी के निर्णय के सिद्धांत का पालन इतना सख्ती से किया जाता था कि पहले की मिसाल से हटकर इसे विधर्म माना जाता था।हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा अभ्यास कथन की घोषणा के साथ, इंग्लैंड में सर्वोच्च न्यायालय को पिछले निर्णय से अलग होने में सक्षम बनाया गया था जब ऐसा करना सही लगा था।

बी.

तो।न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अगला कदम अन्याय को सुधारने के लिए अपने फैसले की समीक्षा करना था।जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं कि इसे संविधान के अनुच्छेद **137** के तहत अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है।न्यायपालिका की भूमिका केवल कानून की व्याख्या और घोषणा करना एक पुराने युग की अवधारणा थी।यह अब बहस के लिए खुला नहीं है क्योंकि यह उचित रूप से तय किया गया है कि अदालतें समाज की बदलती स्थितियों के अनुकूल और समायोजित करने के लिए सिद्धांतों और दिशानिर्देशों को तैयार करने वाले कानून को इस तरह से ढाल सकती हैं और निर्धारित कर सकती हैं, जिसका अंतिम उद्देश्य न्याय प्रदान करना है। हाल के वर्षों में उनके समक्ष प्रस्तुत तथ्यों पर न्याय प्रदान करने के पक्ष में अंतिम अदालतों के दृष्टिकोण में एक स्पष्ट बदलाव आया है, बिना किसी निरसन के लेकिन अंतिमता के सिद्धांत को दरकिनार करते हुए

सी.

डी.

निर्णय।भारत संघ बनाम रघुबीर सिंह [(1989) 2

एस. सी. सी. 754] पाठक, सी. जे. ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए उचित रूप से कहाः(एस. सी. सी. पीपी. 766-67, पैरा 10)

ई.

“10. लेकिन सामाजिक व्यवस्था के विनियमन के लिए मनुष्य द्वारा विकसित सभी सिद्धांतों की तरह, बाध्यकारी पूर्ववर्ती का सिद्धांत इसके शासन में बोधगम्य सीमाओं, बदलते समाज में पुनः समायोजन की आवश्यकता के संदर्भ में उत्पन्न होने वाली सीमाओं, एक बदले हुए

सामाजिक संदर्भ द्वारा मांगे गए कानूनी मानदंडों के पुनः समायोजन द्वारा सीमित है।समाज में नए आग्रहों के लिए कानून को अपनाने की यह आवश्यकता होम्सियन सूत्र की सच्चाई को घर लाती है कि 'कानून का जीवन तर्क नहीं रहा है, यह अनुभव रहा है' (ओलिवर वेंडेल होम्सः द कॉमन लॉ, पृष्ठ 5), और फिर जब उन्होंने एक अन्य अध्ययन में घोषणा की (ओलिवर वेंडेल)

एफ.

जी.

होम्सः सामान्य वाहक और सामान्य कानून, (1943) 9

कर एल. टी. 387,388) कि 'कानून हमेशा एक छोर पर जीवन से नए सिद्धांतों को अपना रहा है', और दूसरी ओर पुराने सिद्धांतों को 'धीमा' कर रहा है।होम्स ने जो कहा था, उसके वैचारिक महत्व को समझाते हुए जूलियस स्टोन ने विस्तार से बताया कि यह ए की शुरुआत से है।

एच.

515

एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड और ओ. आर. एस.भारत और ओआरएस का संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

मौजूदा कानूनी प्रस्तावों पर तर्क के संचालन के बजाय, परिसर के रूप में काम करने के लिए अनुभव से उभरने वाले नए अतिरिक्त-कानूनी प्रस्ताव, या प्रतिस्पर्धी कानूनी प्रस्तावों के बीच अनुभव-निर्देशित विकल्प द्वारा, कि कानून का विकास निर्धारित किया जाता है (जूलियस स्टोनः कानूनी प्रणालियाँ और

लॉयर्स रीजनिंग, पीपी. 58-59)।"

बी.

42. किसी मामले में न्याय प्रदान करने के लिए इस न्यायालय की चिंता उसके निर्णय की अंतिमता के सिद्धांत से कम महत्वपूर्ण नहीं है।हम प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों का सामना कर रहे हैं- अंतिम उपाय के न्यायालय के फैसले की निश्चितता और अंतिमता सुनिश्चित करना और इस आधार पर किसी फैसले पर पुनर्विचार करने पर न्याय प्रदान करना कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है या निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने वाले न्यायाधीश द्वारा मामले में किसी पक्ष के साथ अपने संबंधों का खुलासा नहीं करने या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के कारण पूर्वाग्रह की आशंका के लिए गुंजाइश देना है।

सी.

इस तरह का निर्णय, अंतिमता सुनिश्चित करने की जगह, हमेशा अनिश्चितता के बादल के नीचे रहेगा।केवल सर्वशक्तिमान ही पूर्ण न्याय का वितरक है-एक ऐसी अवधारणा जो विवादित नहीं है, बल्कि कुछ लोगों द्वारा विवादित है।

डी.

हमारा विचार है कि यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से मानवीय दोषपूर्णता की सीमा के अधीन, फिर भी दुर्लभतम मामलों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके बारे में शिकायत किए गए न्याय की सही विफलता निर्धारित करने के लिए अंतिम निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी।ऐसे मामले में त्रुटि को सुधारना न केवल उचित होगा, बल्कि कानूनी और नैतिक रूप से भी अनिवार्य होगा। हमारे देने के बाद

ई.

इस प्रश्न पर चिंता से विचार करते हुए, हम यह मानने के लिए राजी हैं कि इन दुर्लभतम मामलों में न्याय करने का कर्तव्य निर्णय की निश्चितता की नीति पर हावी होना होगा जैसे कि यह अनिवार्य रूप से सार्वजनिक हित में है कि देश में अंतिम न्यायालय के अंतिम निर्णय को चुनौती देने के लिए खुला नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जिसमें निर्णय पर पुनर्विचार करने से इनकार करना न्यायिक विवेक के लिए दमनकारी होगा और यह अपरिवर्तनीय अन्याय का कारण बनेगा।

एफ.

जी.

XXX

XXX

XXX

49. हमारे विचार में चर्चा का परिणाम यह है कि यह न्यायालय, अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और गर्भपात को ठीक करने के लिए

एच.

न्याय, अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है।"

[जोर दिया गया]30. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी मामले में न्याय प्रदान करने के लिए इस न्यायालय की चिंता उसके निर्णय की अंतिमता के सिद्धांत से कम महत्वपूर्ण नहीं है।न्यायालय को एक ओर अंतिम उपाय न्यायालय के निर्णय की निश्चितता और अंतिमता सुनिश्चित करने और दूसरी ओर वैध आधारों पर निर्णय पर पुनर्विचार करने पर न्याय देने में संतुलन बनाना होगा।इस न्यायालय ने कहा है कि हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, फिर भी दुर्लभतम मामलों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके बारे में शिकायत की गई न्याय की विफलता को ठीक करने के लिए अंतिम निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे मामले में त्रुटि को सुधारना न केवल उचित होगा, बल्कि कानूनी और नैतिक दोनों रूप से अनिवार्य भी होगा।इस न्यायालय ने आगे कहा कि अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय की घोर विफलता को ठीक करने के लिए, न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है।31. ए. आर. अंतुले (ऊपर) के मामले में यह न्यायालय बोल रहा है

बी.

सी.

डी.

सब्यसाची मुखर्जी के माध्यम से, जे. ने इस प्रकार कहाः"82. रॉजर बनाम कम्प्टायर डी 'एस्कॉम्प्टे डी में लॉर्ड केर्न्स

पेरिस [(1869-71) LR 3 PC 465,475:17 ई. आर. 120] इस प्रकार देखा गयाः"अब, उनके प्रभुओं की राय है कि सभी न्यायालयों के पहले और सर्वोच्च कर्तव्यों में से एक यह ध्यान रखना है कि न्यायालय का कार्य किसी भी दावेदार को कोई नुकसान न पहुंचाए, और जब 'न्यायालय का कार्य' अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब केवल प्राथमिक न्यायालय या किसी भी मध्यवर्ती अपील न्यायालय का कार्य नहीं है, बल्कि समग्र रूप से न्यायालय का कार्य है, जो सबसे निचले न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामले पर अधिकारिता प्राप्त करता है जो अंततः मामले का निपटारा करता है।यह उन न्यायाधिकरणों के कुल का कर्तव्य है, यदि मैं अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता हूं, तो यह ध्यान रखना कि पूरी कार्यवाही के दौरान न्यायालय का कोई भी कार्य न्यायालय में दावेदारों को नुकसान न पहुंचाए।83. गुजरात उच्च न्यायालय में सोनी व्रजलाल बनाम सोनी जादवजी [ए. आई. आर. 1972 गुजरात 148:(1972) 13 गुज एल. आर. 555] जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।ऐसा प्रतीत होता है कि 16-2-1984 पर निर्देश देते हुए, इस न्यायालय ने इनक्यूरियम के अनुसार कार्य किया क्योंकि उसने सचेत रूप से ए के परिणामों और प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा।

ई.

एफ.

जी.

एच.

517

एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड और ओ. आर. एस.भारत और ओआरएस का संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

1952 के अधिनियम की धारा 6 और 7 और अनवर अली सरकार मामले में बड़ी पीठ के फैसले की बाध्यकारी प्रकृति [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 75:1952 एससीआर 284:1952 सी. आर. आई. एल. जे. 510] जिसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।न्याय प्रशासन के बुनियादी सिद्धांत सरल हैं।न्यायालय की गलती के कारण किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं उठाना चाहिए।अनियमितताओं की तकनीकी प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं उठानी चाहिए।नियम या प्रक्रियाएं न्याय की सहायक होती हैं न कि न्याय की मालकिन।न्याय की दृष्टि से, हमें उसके साथ न्याय करना चाहिए।यदि किसी व्यक्ति पर तब तक अन्याय किया गया है जब तक कि वह न्याय के प्रशासन के मानव तंत्र के भीतर है तो गलत को ठीक किया जाना चाहिए।यह इस मामले का एक विशिष्ट तथ्य है जिस पर बल देने की आवश्यकता है।”

बी.

सी.

32. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि पूर्व ऋण न्याय के सिद्धांत पर जोर दिया गया है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय की गलती के कारण किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं उठाना चाहिए।अनियमितताओं की तकनीकी प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं उठानी चाहिए।यह माना गया है कि प्रक्रिया के नियम न्याय की दासी हैं न कि न्याय की मालकिन।यह भी माना गया है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय किया गया है, जब तक कि गलत न्याय के प्रशासन के मानव तंत्र के भीतर है, तब तक उस गलत को ठीक किया जाना चाहिए।

डी.

33. रंगनाथ मिश्रा, जे. ने अपनी समवर्ती राय में इस प्रकार टिप्पणी कीः“102. यह शीर्ष न्यायालय होने के नाते, किसी भी वादी के पास अपने फैसलों पर सवाल उठाने के लिए किसी भी उच्च मंच से संपर्क करने का कोई अवसर नहीं है।प्रभु।

ई.

मॉन्ट्रियल स्ट्रीट रेलवे कंपनी में बकमास्टर बनामनॉरमैडिन [1917]

एसी 170] (एस. आई. सी.) ने कहाःन्यायालय के सभी नियम और कुछ नहीं बल्कि न्याय के उचित प्रशासन को सुरक्षित करने के उद्देश्य से प्रावधान हैं।इसलिए, यह आवश्यक है कि उन्हें सेवा करने के लिए बनाया जाए और उस उद्देश्य के अधीन किया जाए।

एफ.

गुजरात राज्य बनाम रामप्रकाश पी. पुरी में यह न्यायालय [(1969)

3 एससीसी 156:1970 एससीसी (सीआरआई) 29:(1970) 2 एस. सी. आर. 875] ने [एस. सी. सी. पी.] कहकर स्थिति को दोहराया।159 :एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी.31, पैरा 8] प्रक्रिया को एक नौकरानी के रूप में वर्णित किया गया है न कि कानून की मालकिन के रूप में, जिसका उद्देश्य न्याय के कारण को कम करना और सुगम बनाना है और न कि इसे नियंत्रित करना या बाधित करना है।प्रक्रिया के सभी नियमों की तरह, यह नियम एक ऐसे निर्माण की मांग करता है जो इस उद्देश्य को बढ़ावा देगा।

जी.

एच.

एक बार जब न्यायिक संतुष्टि हो जाती है कि निर्देश देने के लिए खुला नहीं था और इसे न्यायालय की गलती के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो यह न केवल उचित है, बल्कि न्यायालय का कर्तव्य भी है कि वह अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके गलती को सुधारें। न्यायिक राय इस दृष्टिकोण के पक्ष में बहुत अधिक झुकती है कि न्यायालय की गलती को बिना किसी बाधा के न्यायालय द्वारा ही ठीक किया जा सकता है।यह सिद्धांत पर है जैसा कि (अलेक्जेंडर) रॉजर मामले [(1969-71) LR 3 PC 465 में संकेत दिया गया हैः17 ई. आर. 120]।मेरा विचार है कि वर्तमान स्थिति में, अदालत की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग गलती को सुधारने के लिए किया जा सकता है।महाजन।, जे. चार न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोल रहे हैं

बी.

केशरदेव चामरिया बनाम राधा किसेन चामरिया [1953 एससीआर]

136 :ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 23] ने पृष्ठ 153 पर कहाःन्यायाधीश के पास डिक्री धारक द्वारा लिए गए आधारों या निर्णय-देनदारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा किए बिना अपनी गलती को सुधारने का अधिकार क्षेत्र था।

सी.

103. देवी बख्श सिंह बनाम हबीब शाह [आई. एल. आर. (1913) 35 ऑल 331] मामले में प्रिवी काउंसिल ने बताया कि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग न्यायालय या किसी पक्ष द्वारा किया जा सकता है।जहां कोई न्यायालय कुछ ऐसा करने के लिए एक प्रक्रिया का उपयोग करती है जो उसका कभी करने का इरादा नहीं था और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है तो उसे ठीक किया जा सकता है।लॉर्ड शॉ ने लॉ लॉर्ड्स के लिए इस प्रकार बात कीः

डी.

ई.

धारा 151 के अलावा, किसी भी न्यायालय ने गलती को सुधारने के लिए खुद को एक अंतर्निहित शक्ति के रूप में उचित रूप से माना होगा जो अनजाने में की गई थी।

द बोलिवर [ए. आई. आर. 1916 पी. सी. 85] में प्रिवी काउंसिल द्वारा यह बताया गया था किः

एफ.

जहाँ पर्याप्त अन्याय अन्यथा परिणाम देगा, न्यायालय के पास, उनके प्रभुओं की राय में, निंदा के अपने स्वयं के निर्णयों को अपास्त करनाने की एक अंतर्निहित शक्ति है ताकि पक्षों द्वारा प्रामाणिक दावों को स्वीकार किया जा सके।

जी.

भारतीय अधिकारी इस विचार का समर्थन करने के लिए बहुतायत में हैं कि किए गए अन्याय को सिद्धांत एक्टस क्यूरिया नेमेनेम ग्रेवबिट को लागू करके ठीक किया जाना चाहिए-न्यायालय के एक अधिनियम को किसी को भी पूर्वाग्रहित नहीं करना चाहिए।104. गलती करना मानवीय है, यह अक्सर उद्धृत कहावत है।शीर्ष न्यायालय सहित न्यायालय कोई अपवाद नहीं हैं।गलती को स्वीकार करने के लिए जब ए

एच.

519

एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड और ओ. आर. एस.भारत और ओआरएस का संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

न्यायिक संतुष्टि प्राप्त करना इसकी स्थिति या अधिकार के खिलाफ नहीं है।शायद इससे दोनों में सुधार होगा।"

34. यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह सर्वोच्च न्यायालय होने के नाते, किसी भी वादी के पास अपने निर्णयों पर सवाल उठाने के लिए किसी भी उच्च मंच से संपर्क करने का कोई अवसर नहीं है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार न्यायिक संतुष्टि हो जाने पर कि निर्देश दिए जाने के लिए खुला नहीं था और इसे न्यायालय की गलती के रूप में स्वीकार किया जाता है, यह न केवल उचित है, बल्कि न्यायालय का कर्तव्य भी है कि वह अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके गलती को सुधारें।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गलती करना मानवीय है और सर्वोच्च न्यायालय सहित न्यायालय कोई अपवाद नहीं हैं।

बी.

35. संजय सिंह और एक अन्य (ऊपर) के मामले में यह न्यायालय

सी.

उन्होंने इस प्रकार देखा है:"10. आयोग का तर्क निर्णय के हिस्से के रूप में अंतिम आदेश को चुनौती देने और निर्णय के अनुपात निर्णय को चुनौती देने के बीच के मौलिक अंतर को भी नजरअंदाज करता है।मोटे तौर पर, उच्च न्यायालयों के प्रत्येक निर्णय के तीन खंड होते हैं, अर्थात् (i) तथ्य और मुद्दा; (ii) निर्णय के कारण; और (iii) निर्णय युक्त अंतिम आदेश।निर्णय के कारण या अनुपात निर्णय अंतिम आदेश नहीं है जिसमें निर्णय शामिल है।वास्तव में, इस न्यायालय के एक निर्णय में, हालांकि अनुपात निर्णय किसी विशेष परिणाम की ओर इशारा कर सकता है, निर्णय (राहत से संबंधित अंतिम आदेश) अलग हो सकता है और निर्णय के अनुपात निर्णय का स्वाभाविक परिणाम नहीं हो सकता है।यह या तो बाद की किसी घटना के कारण हो सकता है या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए राहत को ढालने की आवश्यकता हो सकती है। यह निर्णय का अनुपात निर्णय है न कि निर्णय में अंतिम आदेश, जो एक उदाहरण बनाता है।"निर्णय" और "निर्णय" शब्द का उपयोग, बल्कि शिथिल रूप से, पूरे निर्णय या अंतिम आदेश या निर्णय के अनुपात निर्णय को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।रूपा अशोक हुर्रा [(2002) 4 एस. सी. सी. 388] निश्चित रूप से इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण है कि अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका इस न्यायालय के फैसले में निहित अंतिम आदेश को चुनौती देने या अपास्त करनाने या रद्द करने के लिए बनाए रखने योग्य नहीं होगी।यह नहीं बिछाता है

डी.

ई.

एफ.

जी.

एक प्रस्ताव कि किसी भी पहले के निर्णय के अनुपात निर्णय की जांच नहीं की जा सकती है या किसी अन्य मामले में भिन्न नहीं किया जा सकता है।जहां अनुच्छेद **32** के तहत किसी याचिका में किसी नागरिक के मौलिक अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है**,** तो इसे खारिज नहीं किया जा सकता है**,** क्योंकि यह केवल इस कारण से बनाए रखने योग्य नहीं है कि यह अंतर करने का प्रयास करता है या

एच.

पहले के निर्णय के अनुपात निर्णय को चुनौती दें**,** सिवाय इसके कि यह समान पक्षों के बीच है और

कार्रवाई का एक ही कारण।जहाँ अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में उठाया गया कोई कानूनी मुद्दा इस न्यायालय के निर्णय के दायरे में आता है, वहाँ न्यायालय पहले के निर्णय के अनुपात निर्णय के बाद याचिका को खारिज कर सकता है।इस तरह की बर्खास्तगी "रखरखाव" के आधार पर नहीं है, बल्कि इस आधार पर है कि उठाया गया मुद्दा पहले के निर्णय में निर्धारित कानून को देखते हुए मान्य नहीं है।लेकिन अगर न्यायालय है

बी.

इस बात से संतुष्ट होकर कि बाद की याचिका में उठाए गए मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है और उस संदर्भ में पहले के निर्णय की फिर से जांच की आवश्यकता है**,** न्यायालय निश्चित रूप से मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकता है **(**या मामले को एक बड़ी पीठ को भेज सकता है**,** यदि पहले का निर्णय एक छोटी पीठ का नहीं है**)**।जब मुद्दा फिर से होता है **-**

सी.

जाँच की जाती है और एक दृष्टिकोण को पहले लिए गए दृष्टिकोण से अलग लिया जाता है, एक नया अनुपात निर्धारित किया जाता है।जब पहले के निर्णय के अनुपात में इस तरह का बदलाव होता है, तो पहले के निर्णय के लिए पक्षों पर लागू होने वाले पहले के निर्णय के अंतिम आदेश में किसी भी तरह से बदलाव या गड़बड़ी नहीं की जाती है।इसलिए, यह तर्क कि अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका किसी ऐसे मुद्दे के संदर्भ में वर्जित है या बनाए रखने योग्य नहीं है जो पहले के निर्णय का विषय है, खारिज कर दिया जाता है।"

डी.

[जोर दिया गया]36. रूपा अशोक हुर्रा (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वह इस प्रस्ताव को निर्धारित नहीं करता है कि पहले के निर्णय के अनुपात निर्णय की जांच नहीं की जा सकती है या

किसी अन्य मामले में उससे भिन्न नहीं किया जा सकता है।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि न्यायालय संतुष्ट है कि बाद की याचिका में उठाए गए मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है और उस संदर्भ में, पहले के निर्णय की पुनः जांच की आवश्यकता है, तो न्यायालय निश्चित रूप से मामले की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकता है या मामले को एक बड़ी पीठ को भेज सकता है, यदि पहले का निर्णय एक छोटी पीठ का नहीं है।इसलिए, इस न्यायालय ने विशेष रूप से इस तर्क को खारिज कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका एक ऐसे मुद्दे के संदर्भ में वर्जित थी या बनाए रखने योग्य नहीं थी जो पहले के निर्णय का विषय था।

ई.

एफ.

जी.

37. वर्तमान मामले में, निश्चित रूप से, रिट याचिकाकर्ता/बैंक थे

जयंतीलाल एन. मिस्त्री (ऊपर) के मामले में पक्षकार नहीं।हालांकि

एच. डी. एफ. सी. बैंक और अन्य द्वारा जयंतीलाल एन. मिस्त्री (उपरोक्त) के मामले में निर्णय और आदेश को वापस लेने के लिए दायर किए गए विविध आवेदन

एच.

521

एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड और ओ. आर. एस.भारत और ओआरएस का संघ। [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

28 अप्रैल 2021 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, इस न्यायालय ने उक्त आदेश में विशेष रूप से इस प्रकार टिप्पणी कीः

“इन आवेदनों को खारिज करने से आवेदक कानूनी रूप से उनके लिए उपलब्ध अन्य उपायों को आगे बढ़ाने से नहीं रुकेंगे।”

38. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं/बैंकों के कानूनी रूप से उनके लिए उपलब्ध अन्य उपायों को आगे बढ़ाने के अधिकार को रद्द नहीं किया है।39. जयंतीलाल एन. मिस्त्री (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक याचिकाकर्ताओं/बैंकों को बैंक के व्यक्तिगत ग्राहकों के संबंध में भी जानकारी का खुलासा करने के लिए निर्देश जारी करने का हकदार है।वास्तव में, यह व्यक्तियों के निजता के मौलिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

बी.

सी.

40. के मामले में इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ

के. एस. पुट्टास्वामी और एक अन्य (ऊपर) ने माना है कि निजता का अधिकार

यह एक मौलिक अधिकार है।इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूचना का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है।इस तरह के संघर्ष के मामले में, न्यायालय को संतुलन की भावना प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

डी.

41. ऊपर उद्धृत इस न्यायालय के निर्णयों के अवलोकन से पता चलता है कि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि हालांकि निर्णय की अंतिमता की अवधारणा को संरक्षित किया जाना है, साथ ही, पूर्व ऋण न्याय के सिद्धांत को मंजूरी नहीं दी जा सकती है।यदि न्यायालय को लगता है कि पहले का निर्णय कानून की सही स्थिति निर्धारित नहीं करता है, तो इस न्यायालय के लिए हमेशा इस पर पुनर्विचार करने और यदि आवश्यक हो, तो इसे एक बड़ी पीठ को भेजने की अनुमति है।

ई.

42. किसी भी अंतिम राय को व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि जयंतीलाल एन. मिस्त्री (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले में सूचना के अधिकार और गोपनीयता के अधिकार को संतुलित करने के पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया था।याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थी-आर. बी. आई. की कार्रवाई को चुनौती दी है, जिसके माध्यम से आर. बी. आई. ने याचिकाकर्ताओं/बैंकों को कुछ जानकारी का खुलासा करने का निर्देश जारी किया है, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार न केवल आर. टी. आई. अधिनियम, आर. बी. आई. अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निहित प्रावधानों के विपरीत है, बल्कि ऐसे बैंकों और उनके उपभोक्ताओं की गोपनीयता के अधिकार को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। आर. बी. आई. ने इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए ऐसे निर्देश जारी किए हैं।

एफ.

जी.

जयंतीलाल एन. मिस्त्री (ऊपर) और गिरीश मित्तल (ऊपर) के मामले में।

इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के पास इस न्यायालय से संपर्क करने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं होगा।जैसा कि ए. आर. के मामले में रंगनाथ मिश्रा, जे.

एच.

अंतुले (ऊपर) कि, यह सर्वोच्च न्यायालय होने के नाते, किसी भी वादी को अपने निर्णय पर सवाल उठाने के लिए किसी भी उच्च मंच से संपर्क करने का कोई अवसर नहीं है।याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय यह होगा कि वे अपने ग्राहकों, जो भारत के नागरिक हैं, के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का रुख करें।

बी.

43. इसलिए हम मानते हैं कि जो प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है, वह स्थायी नहीं है।वही अस्वीकार किया जाता है।2019 की रिट याचिका (सिविल) No.1159 में 2022 की I. A. No.51632 और 2021 की रिट याचिका (सिविल) No.683 में 2022 की I. A. No.54521 को तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

सी.

दिव्या पांडे

आई. ए. ने बर्खास्त कर दिया।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.